



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2015—पौष 26, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-3-195-2005-1-पांच(04).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-195-2005-1-पांच(20) दिनांक 31 मार्च, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
“6. छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर ^{ग्राम सातनूर.}		छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर छिंदवाड़ा से (नागपुर की ओर) 72-73 किलोमीटर के मध्य एकीकृत जांच चौकी पर.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2015

क्र. एफ-ए-3-195-2005-1-पांच(04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-195-2005-1-पांच(04), दिनांक 16 जनवरी, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th January 2015

No. F-A-3-195-2005-1-V(04).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F-A-3-195-2005-1-V(20) dated 31st March, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)
“6.	Village Satnur in the district of Chhindwara on Chhindwara-Nagpur Road.	At Integrated Check post between 72-73 K.M. from Chhindwara (towards Nagpur) on Chhindwara- Nagpur Road.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.